



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1604) पटना, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
(शुद्ध पत्र)

18 सितम्बर 2025

सं० 11/न0वि0/गठन-02/2025-2930/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधानानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 द्वारा नगर पंचायत, सोनपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 7 के परन्तुक के प्रावधानानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2145 दिनांक 10.08.2022 द्वारा पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या अवधारित की गयी। उक्त आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा नगर पंचायत, सोनपुर का पर्यटन और तीर्थस्थल के आधार पर नगर परिषद में उत्क्रमण की अनुशंसा की गई।

3. अतएव विभागीय अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 में पर्यटन और तीर्थस्थल के आधार पर नगर पंचायत, सोनपुर का नगर परिषद में उत्क्रमण पढ़ा एवं समझा जाए।

4. अधिसूचना संख्या 2263 दिनांक 04.08.2025 का शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1604-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>